न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

37/13

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 34/2013

वादीगण	बनाम प्रतिवादीगण
1. जलन्धर सिंह पुत्र मल सिंह जाति जटसिख निवासी 10 एच सुन्दरपुरा तहसील श्रीकरणपुर। 2. मन्दर सिंह पुत्र मल सिंह जाति जटसिख निवासी 10 एच सुन्दरपुरा तहसील श्रीकरणपुर।	1. मल सिंह पुत्र लाल सिंह जाति जटसिख निवासी 10 एच सुन्दरपुरा तहसील श्रीकरणपुर। 2. कौर सिंह पुत्र लाल सिंह जाति जटसिख निवासी 10 एच सुन्दरपुरा तहसील श्रीकरणपुर। 3. बाघ सिंह पुत्र मल सिंह जाति जटसिख निवासी 10 एच सुन्दरपुरा तहसील श्रीकरणपुर। 4. बलविन्द्र सिंह पुत्र मल सिंह जाति जटसिख निवासी 10 एच सुन्दरपुरा तहसील श्रीकरणपुर। 5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,88, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:- 18.02.2013

उपस्थितः 1.श्री इन्द्रजीत सिंह अधिवक्ता वादीगण

2.श्री युधिष्ठर सिंह सैनी अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2 ता 4

--निर्णय-- दिनांक :27.06.20222

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 के नाम सयुक्त खाता में चक 1 आर की जमाबन्दी सम्वत 2067 ता 70 के खाता संख्या 27/24 के मुरब्बा नम्बर 43, 55, 58, 72, 79/20 की कुल 9.755 हेक्टैयर भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। दिनांक 13.08.2012 को प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा जमाबन्दी संख्या 27/24 में दर्ज इन्तकाल संख्या 348 के 4.883 हेक्टैयर में से 4.615 जरिये दान पत्र ब.हि.ब. वादीगण को दान कर दी, जिस पर हम वादीगण का कब्जा काश्त है व मल सिंह ने प्रतिवादी संख्या 3 व 4 बाघ सिंह, बलविन्द्र सिंह इसी जमाबन्दी में दर्ज इन्तकाल संख्या 354 के 0.253 हेक्टैयर ब.हि.ब. दान की व शेष हिस्सा 0.015 हि. मल सिंह के नाम दर्ज है। वादीगण को जो भूमि घरू बंटवारे मे जरिए दानपत्र में मिली जिस पर हम आज तक काबिज चले आ रहे है वह हाल कब्जा भी हम वादीगण का है। घरू बंटवारे अनुसार चक 1 आर के मुरब्बा नम्बर 43 के किला नम्बर 2 के 0.228 हेक्टैयर, किला नम्बर 4 के 0.120 हेक्टैयर, किला नम्बर 5 के 0.227 हेक्टैयर, किला नम्बर 6 के 0.253 हेक्टैयर, किला नम्बर 9 के 0.228 हेक्टैयर, किला नम्बर 12 के 0.228 हेक्टैयर, किला नम्बर 13 के 0.127 हेक्टैयर, किला नम्बर 15 के 0.253 हेक्टैयर, किला नम्बर 16 के 0. 127 हेक्टैयर, किला नम्बर 18 के 0.253 हेक्टैयर, किला नम्बर 19 के 0.228 हेक्टैयर, किला नम्बर 22 के 0.228 हेक्टैयर, किला नम्बर 23 के 0.253 हेक्टैयर, कुल 2.753 हेक्टैयर नहरी भूमि व मुरब्बा नम्बर 58 के किला नम्बर 1/2 के 0.125 हेक्टैयर, किला नम्बर 2 के 0.253 हेक्टैयर, किला नम्बर 6 के 0.165 हेक्टैयर, किला नम्बर 7 के 0.253 हेक्टैयर, किला नम्बर 8 के 0.253 हेक्टैयर, किला नम्बर 9 के 0.253 हेक्टैयर, किला नम्बर 10/1 के 0.202 हेक्टैयर, कुल 1.505 हेक्टैयर, नहरी भूमि व मुरब्बा नम्बर 72 के किला नम्बर 23 के 0.253 हेक्टैयर व मुरब्बा नम्बर 79/20 के 0.104 हेक्टैयर गैरमुमकिन खाला भूमि कुल 4.615 हेक्टैयर भूमि हम वादीगण के कब्जा काश्त में है। संयुक्त खाता की भूमि होने के कारण काश्त करने में खातेदारों के मध्य फसल का बंटवारा करने में लगान

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

A 2/2

34/13

अदा करने में व पानी की पर्ची की छोटी-छोटी बात को लेकर हमेशा झगडा बना रहता है इस कारण कोई भी सहखातेदार अपने हिस्सा की भूमि को सुचारू रूप से काश्त करने में असमर्थ रहते है पूरा समय खातेदारो के लडाई झगडो में बीत जाता है इस लडाई झगडे को मिटाने के लिए वादग्रस्त भूमि का बंटवारा होना जरूरी है। क्योंकि उक्त भूमि को हम वादीगण द्वारा खाद इत्यादि डालकर, कम्पयूटर कराहा लगाकर उपजाउ बनाया है। टयूबवेल भी लगाया है। आज से 15 दिन पूर्व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को वादग्रस्त भूमि को कब्जा अनुसार अपने-अपने हिस्सा अनुपात बंटवारा कराने को कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 साफ इन्कार हो गये। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार, पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वादीगण को दावा स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे कि चक 1 आर के मुरब्बा नम्बर 43 के किला नम्बर 2 के 0.228 हेक्टैयर, किला नम्बर 4 के 0.120 हेक्टैयर, किला नम्बर 5 के 0.227 हेक्टैयर, किला नम्बर 6 के 0.253 हेक्टैयर, किला नम्बर 9 के 0.228 हेक्टैयर, किला नम्बर 12 के 0.228 हेक्टैयर, किला नम्बर 13 के 0.127 हेक्टैयर, किला नम्बर 15 के 0.253 हेक्टैयर, किला नम्बर 16 के 0.127 हेक्टैयर, किला नम्बर 18 के 0.253 हेक्टैयर, किला नम्बर 19 के 0.228 हेक्टैयर, किला नम्बर 22 के 0.228 हेक्टैयर, किला नम्बर 23 के 0.253 हेक्टैयर, कुल 2.753 हेक्टैयर नहरी भूमि व मुरब्बा नम्बर 58 के किला नम्बर 1/2 के 0.125 हेक्टैयर, किला नम्बर 2 के 0.253 हेक्टैयर, किला नम्बर 6 के 0.165 हेक्टैयर, किला नम्बर 7 के 0.253 हेक्टैयर, किला नम्बर 8 के 0.253 हेक्टैयर, किला नम्बर 9 के 0.253 हेक्टैयर, किला नम्बर 10/1 के 0.202 हेक्टैयर, कुल 1.505 हेक्टैयर, नहरी भूमि व मुरब्बा नम्बर 72 के किला नम्बर 23 के 0.253 हेक्टैयर व मुरब्बा नम्बर 79/20 के 0.104 हेक्टैयर गैरमुमकिन खाला भूमि कुल 4.615 हेक्टैयर भूमि का वादीगण को खातेदार घोषित किया जाकर खाता व लगान अलग से कायम किये जाने के आदेश दिए जावे।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 की ओर से अधिवक्ता श्री युधिष्ठर सिंह सैनी उपस्थित आए। प्रतिवादी संख्या 1 ने न्यायालय में स्वंय उपस्थित आकर जवाबदावा पेश किया। जवाबदावा अनुसार खाता संख्या 27/54 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 0.015 हेक्टैयर भूमि वादीगण को बहिस्सा बराबर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जाती है तो मुझ प्रतिवादी को कोई एतराज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 की ओर से जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया। जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम के अनुसार चक 1 आर के मुरब्बा नम्बर 43 के किला नम्बर 4 के 0.120 हेक्टैयर, मुरब्बा नम्बर 58 के किला नम्बर 1/2 के 0.125 हेक्टैयर, किला नम्बर 6 के 0.165 हेक्टैयर, किला नम्बर 7 व 23 सालम-सालम वादीगण के कब्जा काश्त में नहीं है। बल्कि मुरब्बा नम्बर 43 के किला नम्बर 4 सालम एंव मुरब्बा नम्बर 58 के किला नम्बर 1/2 के 0.125 हेक्टैयर, किला नम्बर 6 सालम, किला नम्बर 7 आधा, किला नम्बर 23 के 6 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 2 कौर सिंह को घरू बंटवारा में प्राप्त हुई है। जिस पर कौर सिंह काबिज काश्त चला आ रहा है। वादीगण ने प्रतिवादीगण की अच्छी भूमि हडप करने की नीयत से गलत आधारों पर दावा पेश किया है। जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 2 कौर सिंह को घरू बंटवारा अनुसार चक 1 आर के मुरब्बा नम्बर 43 के किला नम्बर 1,3,4,7,8,10,11,14,17,20,21,24 प्रत्येक सालम-सालम एंव मुरब्बा नम्बर 55 के किला नम्बर 1 आधा, 2 सालम, 3 आधा, किला नम्बर 10 के 5 बिस्वा तथा मुरब्बा नम्बर 58 के

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

किला नम्बर 1 आधा, किला नम्बर 2 व 6 सालम, किला नम्बर 7 आधा एवं मुरब्बा नम्बर 72 के किला नम्बर 13 व 14 प्रत्येक सालम सालम, किला नम्बर 23 के 6 बिस्वा कुल 19 बीघा 6 बिस्वा यानि 4.883 हेक्टैयर प्राप्त हुई है। जिसका खाता अलग से कायम किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे। प्रतिवादी संख्या 3 बाघ सिंह को घरू बंटवारा अनुसार चक 1 आर के मुरब्बा नम्बर 43 के किला नम्बर 25 का आधा प्राप्त हुआ है। जिसका खाता अलग से कायम किये जाने के आदेश दिए जावे। प्रतिवादी संख्या 4 बलविन्द्र सिंह को घरू बंटवारा अनुसर चक 1 आर के मुरब्बा नम्बर 43 के किला नम्बर 25 का आधा प्राप्त हुआ है। जिसका खाता अलग से कायम किये जाने के आदेश दिए जावे। जवाब काउन्टर क्लेम पेश किया जो सामिल मिसल किया गया। जवाब स्टेट पेश नहीं करने पर बन्द किया गया।

हमने प्रकरण मे निम्नलिखित विवाद्यक विरचित किये

1. आया कि क्या वादीगण चक 1 आर के मुरब्बा नम्बर 43 के किला नम्बर 2,4,5,6,9,12,13,15,16,18,19,22,23 की कुल 2.573 हेक्टैयर, एवं मुरब्बा नम्बर 58 के किला नम्बर 1/2,2,6,7,8,9,10/1 की कुल 1.505 हेक्टैयर, मुरब्बा नम्बर 72 के किला नम्बर 23 व मुरब्बा नम्बर 79/20 की 0.105 हेक्टैयर गै.मु.खा. कुल 4.615 हेक्टैयर नहरी भूमि का खातेदार घोषित होने के अधिकारी है?-जिम्मे वादी-
2. आया कि प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 4 पेश किए गए काउन्टर क्लेम के अनुसार भूमि प्राप्त करने के हकदार है? -जिम्मे प्रतिवादीगण-
3. अनुतोष।

वकील वादीगण ने अपने वादपत्र के समर्थन में साक्ष्य प्रदर्श-1 चक 1 आर की जमाबन्दी सम्वत 2067 ता 70 के खाता संख्या 27/24 की प्रति, प्रदर्श-2 ता 5 सिंचाई विभाग के मांगपत्र की प्रति, स्वंय वादीगण जलन्धर सिंह, मन्दर सिंह का साक्ष्य शपथपत्र पत्र पेश किया, जो सामिल पत्रावली है। प्रतिवादीगण अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 11 नियम 14 सीपीसी पेश किया। जो बाद सुनवाई खारिज किया गया। जिरह वकील प्रतिवादीगण के द्वारा की गई। वादीगण के ब्यानों को सामिल मिसल किया गया। साक्ष्यवादी बन्द की गई। प्रतिवादीगण के द्वारा साक्ष्य प्रतिवादी पेश नहीं करने पर बन्द की गई। उभयपक्ष अधिवक्तागण के द्वारा निवेदन किया कि वादीगण के वादपत्र व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के काउन्टर क्लेम के अनुसार तहसीलदार श्रीकरणपुर से कब्जा काश्त का विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जावें। तहसीलदार श्रीकरणपुर के पंत्राक 1094 दिनांक 26.04.2022 से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ। सामिल मिसल किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर दोनों पक्षों के अधिवक्तागण के द्वारा सहमति प्रकट कर निवेदन किया कि विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादपत्र व काउन्टर क्लेम डिक्री किया जाता है तो हमें कोई एतराज नहीं है।

हमने उभयपक्षकारन की बहस सुनी तथा उस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का भली-भांति अवलोकन करते हुए संगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा प्रदर्श 1 ता 5 के अवलोकन किया। बहस के दौरान वादीगण व प्रतिवादीगण अधिवक्ता ने माफिक बंटवारा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादीगण का वादपत्र व प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम डिक्री किया जाकर बंटवारा किये जाने की ईश्तदुआ की है। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण व तहसीलदार श्रीकरणपुर से प्राप्त पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवारा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

A2/4

34/13

का वाद पत्र प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 का काउन्टर क्लेम डिक्री किया जाकर बटवारा किया जाना हम उचित समझते है।

-:आदेश:-

अतः माफिक बंटवारा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है कि राजस्व ग्राम 1 आर, पटवार हल्का मोहलां, भू.अ.नि. क्षेत्र मलकाना कलां, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 78 के खाता संख्या 33/34 के मुरब्बा नम्बर 43,55,58,72, 79/20 की कुल 9.766 हेक्टैयर नहरी मय गैरमुमकिन खाला भूमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के नाम दर्ज भूमि का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

क्र. स.	नाम खातेदारान मय वल्दियत सकूनत	राजस्व ग्राम	मु.न.	किला न.	रकबा	किस्म	लगान
1	जलन्धर सिंह पुत्र मल सिंह जाति जटसिख निवासी 10 एच सुन्दरपुरा(2.307है.) मन्दर सिंह पुत्र मल सिंह जाति जटसिख निवासी 10 एच सुन्दरपुरा (2.308है.) मल सिंह पुत्र लाल सिंह जाति जटसिख निवासी 10 एच सुन्दरपुरा (0.015है.)	1 आर	43	2 ता 22	1.140 हेक्टैयर	नहरी	9.46
				4	0.084 हेक्टैयर	नहरी	0.70
				5	0.227 हेक्टैयर	नहरी	1.88
				6	0.253 हेक्टैयर	नहरी	2.10
				13	0.126 हेक्टैयर	नहरी	1.05
				15	0.253 हेक्टैयर	नहरी	2.10
				16	0.127 हेक्टैयर	नहरी	1.05
				18	0.253 हेक्टैयर	नहरी	2.10
				23	0.253 हेक्टैयर	नहरी	2.10
			58	1/2	0.126 हेक्टैयर	नहरी	1.05
				2	0.253 हेक्टैयर	नहरी	2.10
				6	0.165 हेक्टैयर	नहरी	1.37
				7 ता 9	0.759 हेक्टैयर	नहरी	6.30
				10/1	0.202 हेक्टैयर	नहरी	1.68
			72	23	0.253 हेक्टैयर	नहरी	2.10
			79/20		0.156 हेक्टैयर	गै.मु.खा	0.0
2	बाघ सिंह पुत्र मल सिंह जाति जटसिख निवासी 10 एच सुन्दरपुरा (0.127 हेक्टेयर) बलविन्द्र सिंह पुत्र मल सिंह जाति जटसिख निवासी 10 एच सुन्दरपुरा (0.126 है.)	1 आर	43	16	0.126 हेक्टैयर	नहरी	1.05
				25	0.127 हेक्टैयर	नहरी	1.05
3	कौर सिंह पुत्र लाल सिंह जाति जटसिख निवासी 10 एच सुन्दरपुरा (2.315 हेक्टैयर)	1 आर	43	17,24	0.506 हेक्टैयर	नहरी	4.20
				25	0.126 हेक्टैयर	नहरी	1.05
			55	1/2	0.126 हेक्टैयर	नहरी	1.05
				2 ता 4	0.759 हेक्टैयर	नहरी	6.30
				5	0.165 हेक्टैयर	नहरी	1.37
				10/2	0.127 हेक्टैयर	नहरी	1.05
			72	13,14	0.506 हेक्टैयर	नहरी	4.20

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

शेष खाता एंव रहन बदस्तूर रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर/ लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाष चन्द्र आर.ए.एस}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक 27.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

{सुभाष चन्द्र आर.ए.एस}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6 ?, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix "D 5")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) मुकाम श्रीकरणपुर

व इजलास श्री सुभाष चन्द्र ([illegible])

जलन्धर सिंह बनाम मल सिंह आदि

धारा अन्तर्गत 53, 88, 91 आरटीए प्रकरण सं. 34/2011

निर्णय दिनांक 27.06.2022

यह मुकदमा आज [illegible] उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी वादी अधिवक्ता श्री इन्द्रजीत सिंह व प्रतिवादी अधिवक्ता श्री **युधिष्ठर सिंह सैनी, रामदास सोलंकी** पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि मुताबिक बंटवारा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण [illegible] प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है कि राजस्व ग्राम 1 आर, पटवार हल्का [illegible] भू.अ.नि. क्षेत्र मलकाना कलां, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर की सीमा में वाकेशुदा [illegible] ता 78 के खाता संख्या 33/34 के मुरब्बा नम्बर 43,55,58,72, 79/20 की कुल 9.166 हेक्टैयर नहरी मय गैरमुमकिन खाला भूमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के नाम दर्ज भूमि का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है

क्र. स.	नाम खातेदारान मय वल्दियत सकूनत	राजस्व ग्राम	मु.न.	किला न.	रकबा	किस्म	लगान
1	जलन्धर सिंह पुत्र मल सिंह जाति जटसिख निवासी 10 एच सुन्दरपुरा(2.307है.) मन्दर सिंह पुत्र मल सिंह जाति जटसिख निवासी 10 एच सुन्दरपुरा (2.308है.) मल सिंह पुत्र लाल सिंह जाति जटसिख निवासी 10 एच सुन्दरपुरा (0.015है.)	1 आर	43	2 ता 22	1.140 हेक्टैयर	नहरी	9.46
				4	0.084 हेक्टैयर	नहरी	0.70
				5	0.227 हेक्टैयर	नहरी	1.88
				6	0.253 हेक्टैयर	नहरी	2.10
				13	0.126 हेक्टैयर	नहरी	1.05
				15	0.253 हेक्टैयर	नहरी	2.10
				16	0.127 हेक्टैयर	नहरी	1.05
				18	0.253 हेक्टैयर	नहरी	2.10
				23	0.253 हेक्टैयर	नहरी	2.10
			58	1/2	0.126 हेक्टैयर	नहरी	1.05
				2	0.253 हेक्टैयर	नहरी	2.10
				6	0.165 हेक्टैयर	नहरी	1.37
				7 ता 9	0.759 हेक्टैयर	नहरी	6.30
				10/1	0.202 हेक्टैयर	नहरी	1.68
			72	23	0.253 हेक्टैयर	नहरी	2.10
			79/20		0.156 हेक्टैयर	गै.मु.खा	0.0
2	बाघ सिंह पुत्र मल सिंह जाति जटसिख निवासी 10 एच सुन्दरपुरा (0.127 हेक्टैयर) बलविन्द्र सिंह पुत्र मल सिंह जाति जटसिख निवासी 10 एच सुन्दरपुरा (0.126 है.)	1 आर	43	16	0.126 हेक्टैयर	नहरी	1.05
				25	0.127 हेक्टैयर	नहरी	1.05
3	कौर सिंह पुत्र लाल सिंह जाति जटसिख निवासी 10 एच सुन्दरपुरा (2.315 हेक्टैयर)	1 आर	43	17,24	0.506 हेक्टैयर	नहरी	4.20
				25	0.126 हेक्टैयर	नहरी	1.05
			55	1/2	0.126 हेक्टैयर	नहरी	1.05
				2 ता 4	0.759 हेक्टैयर	नहरी	6.30

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

				5	0.165 हेक्टेयर	नहरी	1.37
				10/2	0.127 हेक्टेयर	नहरी	1.05
			72	13,14	0.506 हेक्टेयर	नहरी	4.20

शेष खाता एंव रहन बदस्तूर रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे।

आज दिनांक 05.08.2022 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	02	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	02	--
स्टाम्प ड्यूटी	1200	00	मेहनताना वकील पर	00	--
योग	1204	**00**	**योग**	**04**	**00**

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

क्रमांकः रीडर/ 2022/424

दिनांकः 05.08.2022

प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर